भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2644

जिसका उत्तर 18.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा

2644 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण और संचालन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सभी के लिए मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी सड़क सुरक्षा संपरीक्षा दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तीसरे पक्ष द्वारा स्वतंत्र सड़क सुरक्षा संपरीक्षा की जा रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वार संपरीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी और सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार के संदर्भ में इन संपरीक्षाओं के परिणाम क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) मैनुअल "आईआरसी:एसपी:88 सडक सुरक्षा संपरीक्षा पर मैनुअल" परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों अर्थात् डीपीआर चरण, निर्माण चरण, उद्घाटन-पूर्व चरण और मौजूदा सड़क पर भी संपरीक्षा का प्रावधान करता है। सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आईआरसी के अनुसार परियोजना चक्र के सभी चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ख) और (ग) सड़क सुरक्षा संपरीक्षा प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता द्वारा की जाती है, जो ठेकेदार/रियायतग्राही से स्वतंत्र होते हैं। सरकार ने निष्पादन एजेंसियों द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ के माध्यम से सभी चरणों में सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षित सड़कें बनती हैं।

*****